

### अध्याय 3: मेट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा

3.1 इस अध्याय में विशेष प्रावधानों के अननुपालन से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई है; क्या विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर के भुगतान से संबंधित प्रावधानों का अननुपालन हुआ था और क्या निर्धारिती को अनुमत कर क्रेडिट अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अनुसार था।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमारे समक्ष कई मुद्दे/उदाहरण आये, जहां अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन देखा गया। नीचे तालिका में निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई गलतियों के व्यापक श्रेणीवार विवरण की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

तालिका 3.1: मेट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा			
पैरा सं.	गलतियों के प्रकार	निर्धारण मामले	कर प्रभार (₹ करोड़ में)
3.2	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ी गई मर्दे	181	1993.19
3.3	अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ से गलत कटौती	28	48.60
3.4	मेट क्रेडिट की अनियमित छूट	277	1559.21
3.5	अंकित खाते के अनुसार अग्रणीत कारोबार हानि/अनावशोषित मूल्यहास की गलत छूट	37	22.97
3.6	आरक्षित निधि से निकाली गई राशि की गलत कटौती	13	15.08
3.7	अंकित लाभ की गणना से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को छूट की अनुमति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अननुपालन	9	0
3.8	संवीक्षा हेतु मामलों का चयन न करना	1	75.51
3.9	मेट के विशेष प्रावधानों के अननुपालन के अन्य उदाहरण	43	88.91
	<b>कुल</b>	<b>589</b>	<b>3803.47</b>

#### 3.2 अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ी गई मर्दे

हमने 181 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ में निर्धारित समायोजन द्वारा वृद्धि नहीं की गई थी, जिसमें ₹ 1993.19 करोड़ के कर की कम वसूली शामिल थी।

### 3.2.1 अंकित लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय आयकर और उसके प्रावधान को शामिल न करना

अंकित लाभ की गणना हेतु, संबंधित पूर्व वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये अनुसार निवल लाभ को प्रदत्त या देय आयकर और इसके प्रावधान की राशि के अनुसार बढ़ाया<sup>50</sup> जायेगा जहां 'आयकर' की राशि में वितरित लाभ/वितरित आय<sup>51</sup> पर कोई भी कर, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभारित कोई भी ब्याज, अधिभार, आयकर पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर शामिल होगा, यदि समय-समय पर अधिनियम द्वारा लगाया गया हो। इसके अतिरिक्त, न्यायिक रूप से मान्य<sup>52</sup> था कि विदेश में प्रदत्त 'आयकर' को अंकित लाभ की गणना हेतु जोड़ा जाना है।

हमने 12 राज्यों<sup>53</sup> में 28 निर्धारण मामले देखे, जहां ₹ 64.98 करोड़ की सीमा तक प्रदत्त आयकर को सामान्य प्रावधान के अंतर्गत अस्वीकृति हेतु विचार किया गया था लेकिन अंकित लाभ की गणना हेतु विचार नहीं किया गया था जिसमें ₹ 13.28 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 19)।

#### बॉक्स 3.1: अंकित लाभ के लिए प्रदत्त अथवा देय आयकर और उसके प्रावधान को शामिल न करने के सोदाहरण मामले

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी 1 मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2013-14

पैन : AAACH1118B

निर्धारिती ने उपरोक्त नि.व. हेतु सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय की गणना में कर्मचारियों की गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर भुगतान किये गये कर के प्रति डेबिट क्रमशः ₹ 4.84 करोड़, ₹ 5.76 करोड़, ₹ 4.97 करोड़ और ₹ 5.40 करोड़ को वापस जोड़ दिया गया जो आईटीडी द्वारा स्वीकार किये गये थे। तथापि, एओ ने उस पर मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु विचार नहीं किया। चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2012-13 हेतु ₹ 99.43 लाख के मैट क्रेडिट के अधिक समंजन सहित ₹ 4.05 करोड़ के कर प्रभाव

<sup>50</sup> धारा 115जेबी(2) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (क)

<sup>51</sup> धारा 115-ओ और धारा 115आर

<sup>52</sup> बैंक ऑफ इंडिया के मामले में अग्रिम नियम प्राधिकरण 2006 की (2006 की एएआर संख्या 732)

<sup>53</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), छत्तीसगढ़ (1), हरियाणा (1), कर्नाटक (2), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (13), ओडिशा (2), राजस्थान (1), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बंगाल (1)

वाले ₹ 20.97 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

**(ख) प्रभार: प्रधान सीआईटी-एलटीयू मुंबई**

**निर्धारिती: मैसर्स न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष: 2011-12 और 2012-13**

**पैन : AAACN3154F**

निर्धारिती ने दो नि.व. के लिये सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय की गणना में कर्मचारियों की गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर भुगतान<sup>54</sup> किये गये कर के प्रति डेबिट क्रमशः ₹ 4.34 करोड़ और ₹ 8.75 करोड़ पुनः जोड़े थे जो आईटीडी द्वारा स्वीकृत किये गये थे। तथापि, एओ ने मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना के लिये उस पर विचार नहीं किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 13.09 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी ने यह कहते हुये आपत्ति स्वीकार नहीं की कि अंकित लाभ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कराधान आय से अलग है क्योंकि केवल सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कुछ परिवर्धन किया गया है, यह आवश्यक नहीं है कि समान परिवर्धन मैट प्रावधानों के अंतर्गत भी किये जायें। इसके अतिरिक्त, धारा 40(क)(v) में संदर्भित कर निर्धारिती कम्पनी के लिये आयकर नहीं था और इसलिये किसी भी विशेष प्रावधान (फरवरी 2017) का अभाव होने पर मैट गणना के अंतर्गत पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आईटीडी ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि कर्मचारियों की ओर से भुगतान किया गया कर 'आयकर' था। विवाद केवल यह है कि ऐसा आय कर निर्धारिती कम्पनी से नहीं लेकिन कर्मचारियों की ओर से संबंधित है। अधिनियम की धारा 115जेबी(2) के नीचे स्पष्टीकरण 1(ए) स्पष्ट नहीं करता कि क्या अंकित लाभ की गणना करते समय निर्धारिती द्वारा केवल अपनी स्वयं की आय पर भुगतान किये गये आयकर को पुनः जोड़ा जाना है।

<sup>54</sup> धारा 10(10सीसी) के साथ पठित धारा 40(ए)(v)

### 3.2.2 अंकित लाभ के लिये किसी भी छूट प्राप्त आय से सम्बद्ध व्यय को शामिल न करना

अंकित लाभ की गणना हेतु, संबंधित पूर्व वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये अनुसार निवल लाभ धारा 10 से 12 के अंतर्गत किसी भी आय से संबद्ध व्यय की राशि या राशियों तक बढ़ाया जायेगा<sup>55</sup>। इसके अतिरिक्त नि.व. 2008-09 से, कुल आय<sup>56</sup> का भाग न बनाने वाली आय से संबंधित व्यय की गणना आयकर नियमावली के नियम 8डी के अनुसार की जायेगी।

हमने 15 राज्यों<sup>57</sup> में 84 निर्धारण मामले देखे जहां कुल आय का भाग न बनाने वाली आय से संबंधित व्यय अंकित लाभ में पुनः नहीं जोड़ा गया था जिसमें ₹ 102.03 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 20)।

#### बॉक्स 3.2: अंकित लाभ के लिये किसी भी छूट प्राप्त आय से सम्बद्ध व्यय को शामिल न करने के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी-2, मुंबई  
निर्धारिती: मैसर्स बैंक ऑफ इंडिया  
निर्धारण वर्ष: 2014-15  
पैन : AAACB0472C

एओ ने निर्धारिती के स्वयं के मामले में नि.व. 2001-02 में दिये गये निर्णय<sup>58</sup> पर निर्भर होते हुये छूट प्राप्त आय का एक प्रतिशत होने पर ₹ 65.48 लाख पर धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृति को सीमित किया जबकि वर्ष के लिये कुल आय का भाग न बनाने वाली आय से संबंधित व्यय नियम 8डी के अनुसार ₹ 166.02 करोड़ बना था और तदनुसार अस्वीकृत की जानी चाहिये थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 34.66 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 165.37 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: सीआईटी गांधीनगर  
निर्धारिती: मैसर्स गुजरात पावर कार्पोरेशन लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष: 2013-14  
पैन : AAACG5596J

एओ ने, सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय की गणना करते समय धारा

<sup>55</sup> धारा 115जेबी(2) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (एफ)

<sup>56</sup> धारा 14ए

<sup>57</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (6), असम (1), छत्तीसगढ़ (5), दिल्ली (4), गुजरात (5), हरियाणा (6), कर्नाटक (22), केरल (1), मध्य प्रदेश (7), महाराष्ट्र (12), राजस्थान (2), तमिलनाडु (9), उत्तर प्रदेश (1) और पश्चिम बांगाल (3)

<sup>58</sup> आईटीए संख्या 1498/एम/2011

14ए के अंतर्गत छूट प्राप्त आय से संबंधित ₹ 5.25 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया। तथापि, एओ द्वारा उस पर धारा 115जेबी के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु विचार नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.25 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.2.3 अंकित लाभ की संगणना हेतु माने न गए किसी परिसम्पत्ति के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को शामिल न करना

अंकित लाभ में किये जाने वाले विशेष समायोजन<sup>59</sup> में से एक लाभ और हानि खाते से डेबिट की गई 'किसी भी परिसंपत्ति में कमी हेतु प्रावधान' के प्रति है जिसे अंकित लाभ की गणना हेतु जोड़ा जाना आवश्यक है। वित्त अधिनियम 2009 द्वारा धारा 115जेबी में यह संशोधन 1 अप्रैल 2001 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी किया गया था।

हमने 12 राज्यों<sup>60</sup> में 47 निर्धारण मामले देखे जहां परिसंपत्ति के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान के रूप में अलग से रखी गई राशि को अंकित लाभ की गणना करते समय नहीं जोड़ा गया था जिसमें ₹ 1827.86 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (परिशिष्ट 21)।

**बॉक्स 3.3: अंकित लाभ की संगणना हेतु माने न गए किसी परिसम्पत्ति के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को शामिल न करने पर निदर्शी मामले**

(क) प्रभार: प्रधान सीआईटी-2, मुंबई  
निर्धारिती: मैसर्स बैंक ऑफ इंडिया  
निर्धारण वर्ष: 2014-15  
पैन : AAACB0472C

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने परिसंपत्ति के मूल्य में कमी (एनपीए) के साथ-साथ विभिन्न अन्य प्रावधानों हेतु ₹ 4461.54 करोड़ के प्रावधानों को नहीं जोड़ा। इसके अतिरिक्त, विदेशी शाखाओं से संबंधित ₹ 813.47 करोड़ का लाभ भी कम किया गया था, जो विशेष प्रावधानों के

<sup>59</sup> धारा 115जेबी(2) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (i)

<sup>60</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (7), बिहार (3), दिल्ली (8), गुजरात (3), हरियाणा (7), कर्नाटक (5), केरल (1), महाराष्ट्र (6), ओडिशा (1), तमिलनाडु (3) और उत्तर प्रदेश (3)

अंतर्गत अनुमत समायोजन नहीं था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1105.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5275.01 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

**(ख) प्रभार: सीआईटी-7, नई दिल्ली**

**निर्धारिती: मैसर्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स**

**निर्धारण वर्ष: 2011-12, 2013-14 और 2014-15**

**पैन : AAACO0191M**

अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त तीन नि.व. हेतु परिसंपत्ति के मूल्य में कमी हेतु ₹ 1866.58 करोड़ के प्रावधान को नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 293.90 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 1866.58 करोड़ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

**(ग) प्रभार: प्रधान सीआईटी-1, भुवनेश्वर**

**निर्धारिती: मैसर्स ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष: 2014-15**

**पैन : AABCG5398P**

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने लाभ और हानि खाते में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिये ₹ 210 करोड़ का प्रावधान नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 56.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 210 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

**(घ) प्रभार: प्रधान सीआईटी-5, हैदराबाद**

**निर्धारिती: मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज़ लिमिटेड**

**निर्धारण वर्ष: 2011-12**

**पैन : AAACD7999Q**

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने सामग्री लागत<sup>61</sup> शीर्ष के अंतर्गत डेबिट अप्रयुक्त मालसूची के प्रावधान के रूप में ₹ 73.10 करोड़ नहीं जोड़े क्योंकि यह परिसंपत्ति के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान है। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20.31 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 73.10 के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>61</sup> लाभ और हानि खाते की अनुसूची 14 के नोट्स

(ड) प्रभार: प्रधान सीआईटी-1, पटना  
निर्धारिती: मैसर्स एल्केम लैब्रटॉरीज़ लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2012-13  
पैन : AABCA9521E

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने उपरोक्त नि.व. के लिये क्रमशः ₹ 6.43 करोड़, ₹ 19.34 लाख और ₹ 76.28 लाख के अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान को नहीं जोड़ा। इसके अतिरिक्त, धारा 14ए के अंतर्गत ₹ 44.21 लाख की अस्वीकृति को भी नि.व. 2012-13 के अंकित लाभ की गणना हेतु नहीं लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले कुल ₹ 7.82 करोड़ की कम गणना हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.2.4 अनिश्चित देयता के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को न जोड़ना

निश्चित देयताओं के अलावा, देयताएं पूर्ण करने हेतु किये गये प्रावधानों के लिये अलग से रखी गई किसी भी राशि को अंकित लाभ की गणना के दौरान जोड़ा<sup>62</sup> जाना है यदि उसे लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है।

हमने 11 राज्यों<sup>63</sup> में 22 निर्धारण मामलों में देखा कि अनिश्चित देयता हेतु प्रावधान के रूप में कुल ₹ 301.02 करोड़ डेबिट किये गये थे लेकिन अंकित लाभ की गणना हेतु नहीं लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 50.02 करोड़ का कर प्रभाव हुआ (परिशिष्ट 22)।

#### बॉक्स 3.4: अनिश्चित देयता के प्रावधान के रूप में अपास्त की गई राशि को न जोड़ने के निदर्शी मामले

(क) प्रभार: सीआईटी-1, गुवाहाटी  
निर्धारिती: मैसर्स असम पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष: 2010-11  
पैन : AAFCA4891F

एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत उसे अनिश्चित देयता मानकर वेतन में

<sup>62</sup> धारा 115जेबी(2) के नीचे स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (सी)

<sup>63</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), असम (3), बिहार (2), छत्तीसगढ़ (1), दिल्ली (4), गुजरात (1), कर्नाटक (4), महाराष्ट्र (1), ओडिशा (1) और उत्तर प्रदेश (2)

संशोधन के प्रावधान के कारण ₹ 11.49 करोड़ अस्वीकृत किये। तथापि, उसे अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 11.49 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई।

**(ख) प्रभार: प्रधान सीआईटी-IV, हैदराबाद**  
**निर्धारिती: मैसर्स लैनको सोलर लिमिटेड**  
**निर्धारण वर्ष: 2012-13**  
**पैन : AABCL4930G**

एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत 'अनिश्चित देयता हेतु प्रावधान' मानकर 'वारंटी हेतु प्रावधान' के प्रति लाभ और हानि खाते को डेबिट किये गये ₹ 6.05 करोड़ अस्वीकृत किये। तथापि, उसे अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ में नहीं जोड़ा गया था। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 1.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 6.05 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.3 अंकित लाभ की गणना में निवल लाभ से गलत कटौती

अधिनियम की धारा 115जेबी(2) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, विशेष कटौतियां मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु उप-खण्ड (i) से (viii) के अंतर्गत निर्धारित हैं।

हमने 28 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ कटौतियों द्वारा कम किए गए थे जो अधिनियम में निर्धारित नहीं हैं, जिसमें ₹ 48.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है जैसा नीचे दिया गया है:

#### 3.3.1 छूट प्राप्त आय या अनुवर्ती संशोधन के कारण ऐसी आय जो अब छूट-प्राप्त नहीं है को गलत रूप से कम किया गया

संबंधित पूर्व वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाये अनुसार निवल लाभ को आय की राशि तक कम<sup>64</sup> किया जाएगा जिसमें धारा 10<sup>65</sup> से 12 तक का कोई भी प्रावधान लागू हो, यदि वो राशि लाभ और हानि खाते को क्रेडिट की गई है।

<sup>64</sup> धारा 115जेबी(2) स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (ii)

<sup>65</sup> उसके खण्ड (38) में मौजूद प्रावधानों के अलावा



हमने 11 राज्यों<sup>66</sup> में 18 निर्धारण मामलों में देखा कि छूट प्राप्त आय को अंकित लाभ से सही से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 376.44 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई (परिशिष्ट 23)।

**बॉक्स 3.5: छूट प्राप्त आय या अनुवर्ती संशोधन के कारण ऐसी आय जो अब छूट-प्राप्त नहीं है को गलत रूप से कम किया गया पर निदर्शी मामले**

(क) प्रभार: सीआईटी 14, मुंबई

निर्धारिती: मै. हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन : AAACH0968B

अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने ₹ 8.42 करोड़ का “साझेदारी फर्म में हानि का शेयर” वापस नहीं जोड़ा जिसे लाभ एवं हानि लेखे को डेबिट किया गया था। फर्म से हानि धारा 10(2ए) के अंतर्गत छूट प्राप्त होने के कारण अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत एक अनुमन्य कटौती नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 8.42 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी, गोवा

निर्धारिती: मै. डेम्पो ब्रदर्स (प्रा.) लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2010-11

पैन : AAACD2588D

एओ ने दावे के अनुसार अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना हेतु “गोवा कार्बन शेयरों की बिक्री पर लाभ” के लिए धारा 10 के तहत ₹ 5.91 करोड़ की कटौती अनुमत की। हालांकि, शेयरों की बिक्री पर लाभ पर अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कटौती की अनुमति नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.91 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>66</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (1), बिहार (1), झारखंड (1), कर्नाटक (2), केरल (1), महाराष्ट्र (2), राजस्थान (1), तमिलनाडु (5), उत्तर प्रदेश (2) और पश्चिम बंगाल (2)

### 3.3.2 लाभ एवं हानि लेखे में क्रेडिट की गई राशियों की कटौती का गलत दावा

नि.व. 2016-17 से वित्त अधिनियम 2015 के अनुसार, एओपी (व्यक्तियों का संघ) या बीओआई (व्यष्टियों का निकाय) से लाभांश की राशि द्वारा शुद्ध लाभ, यदि लाभ एवं हानि लेखे में क्रेडिट किया जाता है, जिस पर अधिनियम की धारा 86 के तहत कोई आयकर देय नहीं है, घटाने के लिए धारा 115जेबी के अंतर्गत एक खण्ड लाया गया था।

यद्यपि उपरोक्त प्रावधान नि.व. 2016-17 से पूर्व लागू नहीं था परन्तु हमने पांच राज्यों<sup>67</sup> में 10 निर्धारण मामले देखे जहां एओपी से प्राप्त आय को अनुचित तरीके से अंकित लाभ से घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 80.12 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई (परिशिष्ट-24)।

#### **बॉक्स 3.6: अंकित लाभ की गणना के दौरान एओपी से लाभ की अनुमति पर निदर्शी मामले**

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी (मध्य)-1, चेन्नई

निर्धारिती: मै. एस.ए.एस होटल एण्ड इंटरप्राइजेज

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन : AAECs1194C

एओ ने सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹ 33.46 करोड़ के एओपी से लाभ की कटौती के पश्चात निकाली गई ₹ 39.99 करोड़ की निर्धारित आय पर ₹ 10.91 करोड़ का कर लगाया। आयकर विवरणी से पता चला कि निर्धारिती ने एओपी से ₹ 33.46 करोड़ के लाभ सहित ₹ 36.07 करोड़ की कटौती का दावा करने के पश्चात् ₹ 41.05 करोड़ के अंकित लाभ की गणना की। चूँकि अधिनियम के अनुसार एओपी से लाभ से संबंधित कटौती की अनुमति नहीं थी, इसलिए विशेष प्रावधानों के तहत वसूलीयोग्य कर सामान्य प्रावधानों के तहत लगाए गए कर से अधिक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.47 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 33.46 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>67</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), महाराष्ट्र (1), राजस्थान (4) और तमिलनाडू (2)

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-3, हैदराबाद  
निर्धारिती: मै. सोमा इंटरप्राइजेज़ लि.  
निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2012-13  
पैन : AACCS8242F

एओ ने अंकित लाभ की गणना करते समय 'धारा 86 के परन्तुक (ए) के तहत संयुक्त उद्यम से आय के शेयर' के प्रति संबंधित उपरोक्त वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 10.53 करोड़, ₹ 3.43 करोड़ और ₹ 2.03 करोड़ की कटौती अनुमत की, जो अधिनियम के अनुसार अंकित लाभ की गणना हेतु एक अनुमन्य कटौती नहीं थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 15.99 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (जून 2015) कि धारा 115जेबी (5) के प्रावधानों को देखते हुए धारा 86 के तहत कटौती स्वीकार्य थी, जैसा सीबीडीटी<sup>68</sup> द्वारा स्पष्ट किया गया था कि धारा 115जेबी के प्रावधानों के संबंध में प्रावधान के अंतर्गत देय कर के प्रतिस्थापन तथा अंकित लाभ की गणना के तरीके को छोड़कर प्रभार से संबंधित प्रावधानों, परिभाषाओं, वसूलियों इत्यादि के साथ-साथ अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे। आयकर विभाग ने आगे कहा कि 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी धारा 115जेबी(2) की व्याख्या के लिए खण्ड (एफए) को शामिल करते हुए वित्त अधिनियम 2015 द्वारा धारा 115जेबी(2) में संशोधन करके अंकित लाभ की गणना से एओपी लाभ की कटौती अनुमत करने का आशय प्रावधान को सुसंगत बनाना था, जिसमें संशोधन से पूर्व अंकित लाभ की गणना से एओपी लाभ के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं थी और इसलिए संशोधन को 'पूर्वव्यापी' प्रकृति का माना जाना था जैसा कि सीआईटी बनाम एलम एक्सट्रूजंस लि. 319 आईटीआर 306 के मामले में निर्णय दिया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अंकित लाभ की गणना सही अर्थ में धारा 115जेबी की व्याख्या 1 के अनुरूप ही की जानी है। वित्त अधिनियम 2015 द्वारा किया गया संशोधन स्पष्ट रूप से 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी होने के लिए किया गया था।

### 3.4 मेट क्रेडिट की गलत अनुमति

मेट के अंतर्गत प्रदत्त कर सामान्य प्रावधानों (यदि मेट के अंतर्गत वास्तव में कर का भुगतान कर दिया जाता है) के तहत देय कर के बीच अंतर आगामी

<sup>68</sup> दिनांक 9.11.2001 के परिपत्र सं. 13,2001 का पैरा सं. 2

वर्षों (अधिकतम 10 वर्ष<sup>69</sup>) में करों से समंजन हेतु अग्रणीत किया जाता है, यदि आगामी वर्षों में सामान्य प्रावधानों<sup>70</sup> के तहत कर का भुगतान कर दिया जाता है। आगामी वर्षों के दौरान वास्तविक समंजन सामान्य प्रावधानों के तहत अदा किए गए कर तथा जो उस वर्ष<sup>71</sup> के दौरान मैट के अंतर्गत देय होगा; के बीच अंतर तक ही सीमित होगा। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2012-13 से, कम्पनियों को लागू आईटीआर-6 की अनुसूची एमएटीसी जिसमें निर्धारिती के अभिलेखों के अनुसार मैट क्रेडिट की उपलब्धता तथा समंजन के वर्षवार विवरण का प्रावधान किया गया था।

हमने 21 राज्यों<sup>72</sup> में 277 निर्धारण मामलों में देखा कि निर्धारण अभिलेखों से संबंधित आईटीआर में किए गए निर्धारिती के दावे की अद्यतित स्थिति का सत्यापन किए बिना ₹ 1559.21 करोड़ के मैट क्रेडिट का अनुचित समंजन/अग्रणयन/गैर समंजन अनुमत किया गया था।

### 3.4.1 मैट क्रेडिट का गलत अग्रणयन

अधिनियम की धारा 115जेएए(2ए) के अनुसार, उपधारा (1ए) के तहत अनुमत किए जाने वाला कर क्रेडिट धारा 115जेबी की उपधारा (1) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अदा किए गए कर तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार संगणित निर्धारिती की कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की राशि का अंतर होगा।

हमने 15 राज्यों<sup>73</sup> में 88 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ पर अदा कर से संबंधित कर क्रेडिट आगामी वर्षों में समंजन हेतु अग्रणीत करने की गलत अनुमति दी गई थी जिसमें ₹ 868.21 करोड़ का कर प्रभाव निहित था (परिशिष्ट-25)।

<sup>69</sup> वित्त अधिनियम 2017 द्वारा 1.4.2017 से 15 वर्षों तक बढ़ाया गया

<sup>70</sup> अधिनियम की धारा 115जेएए(2)

<sup>71</sup> अधिनियम की धारा 115जेएए(5)

<sup>72</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (23), असम (5), बिहार (9), छत्तीसगढ़ (1), दिल्ली (12), गुजरात (7+30), हरियाणा (11), हिमाचल प्रदेश (2), झारखंड (2), कर्नाटक (41), केरल (14), मध्य प्रदेश (17), महाराष्ट्र (46), ओडिशा (4), पंजाब (1), राजस्थान (11), तमिलनाडु (17), उत्तर प्रदेश (3), उत्तराखंड (4) और पश्चिम बंगाल (19)

<sup>73</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (3), असम (4), बिहार (3), दिल्ली (7), गुजरात (16), हरियाणा (10), हिमाचल प्रदेश (2), केरल (1), मध्य प्रदेश (5), महाराष्ट्र (23), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (2), उत्तराखंड (4) और पश्चिम बंगाल (8)

**बॉक्स 3.7: मेट क्रेडिट के गलत अग्रेनयन के निदर्शी मामले**

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-2, मुंबई  
निर्धारिती: मै. बैंक ऑफ इण्डिया  
निर्धारण वर्ष: 2014-15  
पैन : AAACB0472C

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय धारा 36(1)(vii) के तहत ₹ 3834.29 करोड़ के अशोध्य ऋण को बढ़े खाते की अनुमति दी जिसे नि.व. 2013-14 के अनुसार धारा 36(1)(viiए) के तहत उपलब्ध ₹ 2039.28 करोड़ के प्रावधान के शुरुआती क्रेडिट अधिशेष के प्रति समायोजित नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 1819.68 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 618.51 करोड़ का कर प्रभाव निहित था, जिसके द्वारा ₹ 214.04 करोड़ का अधिक मेट क्रेडिट अग्रेनीत किया गया। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-एलटीयू, मुंबई  
निर्धारिती: मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि.  
निर्धारण वर्ष: 2009-10 और 2010-11  
पैन : AAACR5055K

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 की सांकेतिक हानि के उल्टाव से संबंधित क्रमशः ₹ 43.78 करोड़ तथा ₹ 35.32 करोड़ अनुमत किया जिसे तत्संबंधी निर्धारण वर्षों में सीआईटी (अपील) के आदेश को लागू करते हुए निर्धारिती को पहले ही अनुमत किया गया था। दोहरी राहत की अनुमति के परिणामस्वरूप नि.व. 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 43.78 करोड़ तथा ₹ 35.32 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें कुल ₹ 26.89 करोड़ के मेट क्रेडिट का अधिक अग्रेनयन शामिल था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी-6, नई दिल्ली  
निर्धारिती: मै. मोदी रबर लि.  
निर्धारण वर्ष: 2012-13  
पैन : AAACM2062R

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय ₹ 10.34 करोड़ की सही राशि के

स्थान पर ₹ 33.44 करोड़ की अग्रेनीत हानि अनुमत की। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.10 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 5 करोड़ का अधिक मैट क्रेडिट अग्रेनयन निहित था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी मध्य-2, कोलकाता  
निर्धारिती: मै. एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि.  
निर्धारण वर्ष: 2007-08  
पैन : AACCA2756N

एओ ने निर्धारण को पूरा करते समय धारा 80 आईए के तहत ₹ 21.16 करोड़ की कटौती अनुमत करने के पश्चात् ₹ 1.38 करोड़ की आय का निर्धारण किया। कटौती की अनुमति अन्य स्रोतों से ₹ 12.85 करोड़ की आय सहित आय पर दी गई थी। चूँकि, अन्य स्रोतों से आय पर धारा 80 आईए के तहत कटौती अनुमत नहीं थी, इसलिए ₹ 12.85 करोड़ की पूरी आय को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 11.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.13 करोड़ के अधिक मैट क्रेडिट सहित ₹ 3.85 करोड़ का कर प्रभाव निहित था। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.4.2 मैट क्रेडिट का अनियमित समंजन

अधिनियम की धारा 115जेएए(5) के अनुसार अग्रेनीत कर क्रेडिट से संबंधित समंजन सामान्य प्रावधानों के तहत उसकी कुल आय पर कर तथा कर, जो धारा 115जेए की उपधारा (1) या धारा 115जेबी के प्रावधानों के तहत देय होगा, के बीच के अंतर की सीमा तक किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए जैसा भी मामला हो, उस निर्धारण वर्ष हेतु अनुमत होगा।

हमने 19 राज्यों<sup>74</sup> में 182 निर्धारण मामले देखे जहां ₹ 650.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले मैट क्रेडिट के गलत समंजन की अनुमति दी गई थी (परिशिष्ट-26)।

<sup>74</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (20), असम (1), बिहार (6), छत्तीसगढ़ (1), दिल्ली (5), गुजरात (14), हरियाणा (1), झारखंड (2), कर्नाटक (41), केरल (13), मध्य प्रदेश (12), महाराष्ट्र (23), ओडिशा (4), पंजाब (1), राजस्थान (11), तमिलनाडु (15), उत्तर प्रदेश (1), पश्चिम बंगाल (11)

**बॉक्स 3.8: मेट क्रेडिट के अनियमित/गैर समंजन पर निदर्शी मामले**

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, कोलकाता

निर्धारिती: मै. बंगाल एनर्जी लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन : AADCB1581F

एओ ने कर देयता की गणना करते समय ₹ 2.97 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 4.45 करोड़ का कर क्रेडिट समंजन की अनुमति दी। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 1.66 करोड़ का कर प्रभावित हुआ।

(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी, नोएडा

निर्धारिती: मै. एल्कम्पोनिक्स सेल्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन : AABCE6120F

एओ ने कर देयता की गणना करते समय नि.व. 2012-13 से संबंधित ₹ 3.45 करोड़ के शेष मेट क्रेडिट को अग्रणीत करने के साथ-साथ ₹ 2.54 करोड़ का मेट क्रेडिट के समंजन की अनुमति दी। चूँकि निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कर की वसूली सामान्य प्रावधानों के तहत की गई थी, इसलिए नि.व. 2012-13 के लिए धारा 115जेएए के तहत कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इसके स्थान पर निर्धारिती को नि.व. 2011-12 से संबंधित केवल ₹ 40.69 लाख का क्रेडिट समंजन हेतु उपलब्ध था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 5.58 करोड़ के मेट क्रेडिट की गलत अनुमति दी गई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

इसके अलावा, गुजरात में सात निर्धारण मामलों में निर्धारिती को ₹ 40.93 करोड़ के मेट क्रेडिट के समंजन की अनुमति नहीं दी गई जबकि निर्धारिती इसके पात्र थे (परिशिष्ट-26.1)।

संबंधित अभिलेखों से उचित सत्यापन किए बिना मेट क्रेडिट के समंजन तथा अग्रणीत करने से संबंधित गलत दावों की अनुमति दी गई।

### 3.5 लेखा बहियों के अनुसार अग्रेणीत कारोबारी हानि/अनावशोषित मूल्यहास की गलत अनुमति

अधिनियम की धारा 115जेबी(2) के अनुसार अग्रेणीत हानि अथवा अनावशोषित मूल्यहास की राशि, जो भी लेखा बहियों के अनुसार कम हो, को अंकित लाभ की गणना के दौरान कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है।

हमने 15 राज्यों<sup>75</sup> में 37 निर्धारण मामलों में देखा कि लेखा बहियों के अनुसार पिछले अग्रेणीत हानि या अनावशोषित मूल्यहास को अंकित लाभ की गणना करते समय ठीक से नहीं घटाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹22.97 करोड़ के कर प्रभाव वाले अंकित लाभ की कम गणना हुई (परिशिष्ट 27)।

#### **बॉक्स 3.9: लेखा बहियों के अनुसार पिछले अग्रेणीत कारोबारी हानि/अनावशोषित मूल्यहास की गलत अनुमति पर निदर्शी मामले**

**प्रभार: सीआईटी उदयपुर**

**निर्धारिती: मै. अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लि.**

**निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2013-14**

**पैन : AADCA5692C**

शून्य पर अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने अनावशोषित मूल्यहास के प्रति नि.व. 2012-13 हेतु लाभ की सीमा तक ₹ 1.14 करोड़ कम कर दिया, जबकि निर्धारिती का नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 14.59 लाख की अग्रेणीत हानि तथा ₹ 18.25 करोड़ का अनावशोषित मूल्यहास था। इस प्रकार, अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती केवल ₹ 14.59 लाख की ही कटौती का हकदार था। इसी प्रकार, निर्धारिती ने 'शून्य' अग्रेणीत हानि/अनावशोषित मूल्यहास के प्रति नि.व. 2013-14 में लाभ की सीमा तक ₹ 4.10 करोड़ की कटौती का गलत दावा किया। अधिक अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.10 करोड़ के कुल अंकित लाभ की कम गणना हुई। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>75</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (1), असम (1), बिहार (2), दिल्ली (1), गुजरात (1), हरियाणा (1), हिमाचल प्रदेश (1), कर्नाटक (13), केरल (2), महाराष्ट्र (5), राजस्थान (3), तमिलनाडु (3), उत्तर प्रदेश (2) और पश्चिम बंगाल (1)



एओ के पास निर्धारण के समय कम्पनी अधिनियम के अनुसार अनावशोषित मूल्यहास/अग्रेनीत कारोबारी हानि की सही और अद्यतित स्थिति नहीं थी क्योंकि यह न तो आईटीआर से अथवा न ही फॉर्म 29बी<sup>76</sup> या 3सीबी/3सीडी फॉर्म से सत्यापन योग्य था, जिसके कारण उपरोक्त 37 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की गलत गणना हुई।

### 3.6 आरक्षित निधि से आहरित राशि की गलत कटौती

किसी भी आरक्षित निधि से आहरित तथा लाभ एवं हानि लेखे में जमा किसी भी राशि हेतु कटौती अनुमत है यदि, आरक्षित निधि<sup>77</sup> के सृजन वर्ष में अंकित लाभ की गणना के दौरान ऐसी किसी राशि पर विचार किया गया हो।

चार राज्यों<sup>78</sup> में 13 निर्धारण मामलों में हमने देखा कि अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने लाभ और हानि लेखा से आहरित और क्रेडिट की गई राशि को गलती से कम कर दिया जिसमें ₹ 15.08 करोड़ के कर प्रभाव निहित था (परिशिष्ट-28)।

**बॉक्स 3.10: सत्यापित न किये गये रिजर्व या प्रावधान से आहरित मदों के दावे तथा लाभ और हानि खाते में क्रेडिट के निदर्शी मामले**

(क) प्रभार: सीआईटी- एलटीयू, बेंगलोर

निर्धारिती: मै. शनाईडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनैस इंडिया (प्रा.) लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन: AACCA6398Q

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने प्रतिलेखित करने के प्रावधान के प्रति लाभ और हानि खाते के ₹ 4.53 करोड़ के क्रेडिट के प्रति अशोध्य ऋण या संदिग्ध ऋण, बढ़े खाते में डाले गये अशोध्य ऋण और सूची के अवमूल्यन के संबंध में रिजर्व या प्रावधानों से आहरित राशि के रूप में ₹ 11.12 करोड़ की कटौती अनुमत की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 6.59 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई।

<sup>76</sup> मैट के अंतर्गत सनदी लेखाकार द्वारा अंकित लाभ की गणना का प्रमाण फॉर्म 29बी में जमा किया जाए।

<sup>77</sup> अधिनियम की धारा 115जेबी(2)(i)

<sup>78</sup> हरियाणा (1), कर्नाटक (6), महाराष्ट्र (3) और तमिलनाडु (3)

**(ख) प्रभार: प्र. सीआईटी-1, मदुरै**  
**निर्धारिती: मै. गोल्डन वीविंग मिल्स प्रा. लिमि.**  
**निर्धारण वर्ष: 2012-13**  
**पैन: AAACG6671L**

जैसा कि दावा किया गया था एओ के एक बार निपटान (ओटीएस) के अंतर्गत ब्याज को छोड़ने के कारण ₹ 4.72 करोड़ की छूट अनुमत करने के बाद विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 91.35 लाख की हानि अंकित लाभ की गणना की। ओटीएस के अंतर्गत दावे को समान्य प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत नहीं किया गया था, जिसपर मैट प्रावधान के अंतर्गत विचार नहीं किया गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3.81 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

**(ग) प्रभार: प्र.सीआईटी-3, मुम्बई**  
**निर्धारिती: मै. जाबिल सर्किट प्रा. लिमि.**  
**निर्धारण वर्ष: 2011-12**  
**पैन: AACCP7114K**

अंकित लाभ की गणना करते समय एओ ने ऐसे रिज़र्व के सृजन के वर्ष में रिज़र्व से आहरण परन्तु लाभ और हानि खाते में क्रेडिट न की गई राशि के प्रति ₹ 4.28 करोड़ की कटौती अनुमत की। चूक के कारण ₹ 85.67 लाख के कर प्रभाव वाले ₹ 4.28 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था।

यह जांच करने का कोई उचित तंत्र नहीं था कि रिज़र्व से आहरित की गई राशि रिज़र्व के सृजन किये जाने के वर्ष में अंकित लाभ की गणना के दौरान वास्तविक रूप से जोड़ी गई थी।

### 3.7 अंकित लाभ की गणना से रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को छूट अनुमत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अननुपालन

रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को अपने निवल मूल्य के समान आने तक या संचित अंकित हानियों से अधिक होने तक अंकित लाभ<sup>79</sup> की गणना से छूट अनुमत की गई। इस उद्देश्य के लिए, डीजीआईटी (प्रशासन) को आय कर राहत सीबीडीटी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए और बीआईएफआर और संबंधित अधिकारी को उक्त सूचना देने के लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों (एसआईसीए) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बीआईएफआर/एआईएफआर द्वारा परिचालित प्रारूप पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत या संस्वीकृत योजना में प्राप्त किये जाने के प्रत्येक मामले में बीआईएफआर<sup>80</sup> और एआईएफआर<sup>81</sup> से पूर्व सीबीडीटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायित्व<sup>82</sup> सौंपा गया। निर्धारण अधिकारी रूग्ण कम्पनियों को ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद केवल आय कर राहत प्रदान करेगा।

महाराष्ट्र में नौ निर्धारण मामलो में हमने देखा कि एओ ने अंकित लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधानों को लागू यह कहते हुए नहीं किया कि निर्धारिती ने बीआईएफआर की सुनवाई के अनुसार घोषित रूग्ण कम्पनी के लिए धारा 115 जेबी के अन्तर्गत निर्धारित मानदंड को पूरा किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं था कि क्या मैट प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्धारिती को छोड़ने के लिए डीजीआईटी (प्रशासन) द्वारा सीबीडीटी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था, यद्यपि, एसआईसीए अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अन्तर्गत कम्पनी को रूग्ण घोषित करने के लिए बीआईएफआर का प्रमाणपत्र उपलब्ध था (परिशिष्ट-29)।

<sup>79</sup> अधिनियम की धारा 115 जेबी (2) नीचे व्याख्या (1) का मद (VII)

<sup>80</sup> सीबीडीटी परिपत्र सं. 5/2009, दिनांक 2.7.2009

<sup>81</sup> औद्योगिक और वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड

<sup>82</sup> औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकरण

### 3.8 संवीक्षा के लिए मामले का चयन न करना

2011-12 के दौरान संवीक्षा मामलों के आवश्यक मैनुअल चयन के लिए प्रक्रिया और मानदंड पर सीबीडीटी द्वारा 8 सितम्बर 2010 को संख्या एफ. सं. 225 /93 /2009 /आईटीए ।। द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार एक मानदंड यह था कि "कानून के किसी मूल और पुनरावृत्ति प्रश्न पर ₹ 10 लाख से अधिक तक पूर्व निर्धारण वर्ष में वृद्धि के मामलों सहित या तथ्य जिसकी अपील में पुष्टि की गई है या अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं"।

दिल्ली में मै. इंटरग्लोब एविएशन लिमि. के मामले में हमने देखा कि निर्धारिती कंपनी द्वारा संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित किये जाने के लिए मानदंडों को पूरा किया परन्तु चयन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-30)।

#### बॉक्स 3.11: संवीक्षा हेतु मामले के गैर चयन पर निदर्शी मामला

प्रभार :सीआईटी-4, नई दिल्ली

निर्धारिती: मै. इंटर ग्लोब एविएशन लिमि.

निर्धारण वर्ष : 2011-12

पैन: AABCI2726B

निर्धारिती ने नि.व. 2011-12 के लिए सामान्य प्रावधान के अंतर्गत आय की विवरणी 'शून्य' पर फाईल की जो सार रूप में प्रसंस्कृत की गई और कर मैट के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय एरो इंजन (आईएई) से ₹ 227.39 करोड़ निर्धारिती ने प्राप्त किये जिन्हें कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी प्राप्ति को संवीक्षा के बाद पूरे किये गये निर्धारण में नि.व. 2010-11 और 2012-13 में एओ द्वारा आय के रूप में निर्धारण किया गया था। नि.व. 2011-12 के लिए रिटर्न को चयनित नहीं किया गया था, यद्यपि सीबीडीटी के निर्देशानुसार संवीक्षा चयन के लिए यह एक उचित मामला था। सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर से ₹ 227.39 करोड़ की आय के बचाने के कारण ₹ 75.51 करोड़ के मैट क्रेडिट का अधिक अग्रनयन हुआ। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2011-12 से संबंधित ₹ 134.55 करोड़ सहित ₹ 225.10 करोड़ के मैट क्रेडिट का नि.व. 2012-13 में अग्रनयन दावा किया गया था। इसमें से, आईटीडी ने बाद के वर्षों में संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान ₹ 136.27 करोड़ को समंजन का अनुमत किया। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.9 मेट के विशेष प्रावधानों को अननुपालन की अन्य घटनाएं

अधिनियम की धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को उचित रूप से आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय - समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

हमने 13 राज्यों<sup>83</sup> में 43 निर्धारण मामले देखे जहां अंकित लाभ की गणना में त्रुटि के कारण ₹ 88.91 करोड़ के कर का कम उदग्रहण किया गया। (परिशिष्ट 31)

#### बॉक्स: 3.12 अन्य त्रुटियों पर निदर्शी मामले

(क) प्रभार: प्र.सीआईटी-एलटीयू, मुंबई  
निर्धारिती: मै. लूपिन लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष: 2010-11 और 2011-12  
पैन: AAACL1069K

अंकित लाभ की गणना करते समय, एओ ने एसईजेड इकाई के लिए व्यय किये गये क्रमशः पूर्व-प्रारंभ राजस्व व्यय के संबंध में उपरोक्त नि.व. के लिए ₹ 27.86 करोड़ और ₹ 48.28 करोड़ को वापस नहीं जोड़ा। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 14.36 करोड़ कर प्रभाव वाले ₹ 76.14 करोड़ के कुल अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) प्रभार : प्र.सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई  
निर्धारिती: मै. द शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
निर्धारण वर्ष: 2011-12  
पैन: AAAC1524F

अंकित लाभ की गणना करते समय, निर्धारिती ने 'पूर्वअवधि समायोजन के संबंध में ₹ 29.75 करोड़ घटा दिये जिसे एओ द्वारा स्वीकृत किया गया था यद्यपि उक्त मद विनिर्दिष्ट समायोजनों के अन्तर्गत कवर कि गई मद नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप कर सामान्य प्रावधानों के तहत लगाया गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 29.75 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था।

<sup>83</sup> आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (8), असम (2), हरियाणा (1), दिल्ली (3), गुजरात (3), कर्नाटक (3), केरल (2), महाराष्ट्र (11) राजस्थान (21), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (2) और पश्चिम बंगाल (2)।

(ग) प्रभार: प्र.सीआईटी-6, चेन्नई

निर्धारिती : मै. स्टार हैल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कं. लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2010-11

पैन: AAJCS4517L

अंकित लाभ की गणना करते समय नि.अ ने ₹ 9.20 करोड़ के उचित आंकड़े के स्थान पर ₹ 3.92 करोड़ पर अंकित लाभ की गणना आरंभ की। आंकड़ों के गलत लिखे जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 5.28 करोड़ के अंकित लाभ की कम गणना की गई।

### 3.10 निष्कर्ष

589 निर्धारण मामलों में ₹ 3803.47 करोड़ के कर का मैट क्रेडिट/अंकित लाभ की अनुमति की गणना में त्रुटि देखी गई थी।

एओ के पास निर्धारण के समय पर कम्पनी अधिनियम के अनुसार उचित और अद्यतित अनावशोषित मूल्यहास/अग्रेणीत व्यापार हानि की स्थिति नहीं थी। यह 37 निर्धारण मामलों में या तो आईटीआर या फार्म 29बी<sup>84</sup> या फार्म 3सीबी/3 सीडी में सत्यापन योग्य नहीं था जिसके कारण अंकित लाभ की गलत गणना की गई।

### 3.11 सिफारिशें

सीबीडीटी कम्पनी अधिनियम के अनुसार व्यापार हानि और अनावशोषित मूल्यहास के वर्ष वार विभाजित विवरण दर्शाता हुई सारणी या एक परिशिष्ट फार्म 29बी/कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट/आईटीआर 6 के अनुसार संलग्न कर सकता है ताकि उनकी अद्यतित स्थिति निर्धारण के समय पर ध्यान में रखी जा सके।

(पैरा 3.5)

एग्जिट क्रांफ्रेस के दौरान सीबीडीटी ने कहा कि अलग परिशिष्ट/अनुसूची रखना कठिन हो सकता है। तथापि, सीबीडीटी इस विचार से सहमत था कि एएसटी में कम्पनी अधिनियम के अनुसार अग्रेणीत व्यापार हानि और अनावशोषित मूल्यहास के विवरण भी दृष्टव्य होंगे।

<sup>84</sup> मैट के अंतर्गत अंकित लाभ की गणना के सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाण पत्र फार्म 29बी में प्रस्तुत किया जाना था।